संख्या–3648/12–प–2–2000–30(3)/99

प्रेषक,

वी०एम०मोना,
सचिव,
पशुधन एवं मत्स्य,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2, लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2001

विषय: पशुपालन विभाग में लागू वर्तमान सेवा शुल्क एवं सेवी मूल्यों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को वास्तविक व्यय के आधार पर पुनर्प्राप्य (कास्टरिकवरी) को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वसूली जाने वाली फीस/सेवी की दरों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3519/12–प–2–99–30(3)/99, दिनांक 19.1.2000 जारी किया गया है। इस शासनादेश में उल्लिखित दरों को कम किए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रत्यावेदनों एवं इसी संदर्भ में मा०उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर जनहित याचिका संख्या–5239/99 जयकिशन सिंह बनाम उ०प्र०राज्य के अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.4.2000 का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में मानव चिकित्सा हेतु पंजीकरण शुल्क पशु चिकित्सालयों में पशुओं की चिकित्सा हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क से कम है।

2– अतएव राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग में पशुओं के उपचार हेतु उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 19.1.2000 द्वारा निर्धारित चिकित्सा शुल्क की दरों को निम्नवत संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	मद	शासनादेश दिनांक 19.1.2000 द्वारा निर्धारित दरें (रू० में)	संशोधित दरें (रू० में)
	चिकित्सा शुल्क		
1–	पशु चिकित्सा बड़े पशु, गाय, भैंस, बैल आदि	10.00	5.00
2–	छोटे पशु भेड़, बकरी आदि	5.00	2.00
3–	कुत्ता, बिल्ली	40.00	10.00

3- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/
(वी०एम०मोना)
सचिव।

-2-

संख्या-3648(1)/12-प-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आयुक्त, पशुपालन कृषि भवन, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
(3) महाप्रबन्धक(समन्वय), पी०एस०डी०एफ०, लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
(5) समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
(6) अतिरिक्त, सचिव, टेक्नालाजी मिशन, भारत सरकार, एन०डी०डी०पी०, आनन्द नगर, भारत सरकार।
(7) सचिव, दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) संयुक्त सचिव, (प्रशासन) प्रौद्योगिक मिशन डेरी विकास, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(9) वित्त(व्यय नियंत्रण)अनु०-2, उ०प्र०शासन।
(10) वित्त(संसाधन)सामान्य अनुभाग, उ०प्र०शासन।
(11) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह०/
(राम कुमार प्रसाद)
उप सचिव।

कार्यालय-निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-3868/सा०एफ/ए-84(55)/2000, दिनांक: 20-1-2001

उपरोक्त शासन के पत्र संख्या-3648/12-प-2-2000-30(3)/99, दिनांक 10 जनवरी, 2001 की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

(1) समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, मण्डल/परियोजना, उ०प्र०।
(2) समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
(3) अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर चमोली, उत्तरांचल।
(4) अपर निदेशक, सी०एम०ओ० संस्थान, पशुपालन, उ०प्र०, लखनऊ
(5) अपर निदेशक(गोधन)मुख्यालय।
(6) संयुक्त निदेशक(कुक्कुट)मुख्यालय।
(7) उप निदेशक(लघु पशु), मुख्यालय।
(8) परियोजना समन्वयक, यू०पी०डी०एस०पी०, प्रधान कार्यालय।

(ए०के०सिंह)
निदेशक,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।